RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office: 4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302006
CIN U15421RJ1945SGC000285

क्रमांक : RSGSM/HO/Appointment of Diceased Employee/2016/ 35265-269 दिनांक 05.12.2016

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर की कम्पनी सेवा काल में दिनांक 13.08.2016 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री रवि कुमार (जन्मतिथि 06.07.1989) को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–12(6)/एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 26415–434 दिनांक 03.11.2006 तथा राज्य सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग 2008 को लागू किये जाने की अधिसूचना क्रमांक एफ–11(7) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 12.09.2008, इस कार्यालय के आदेश संख्या 16722–31 दिनांक 10.10.2008 एवं 15412–32 दिनांक 23.09.13 की अनुपालना में श्री रवि कुमार को शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर में अकुशल श्रमिक के रिक्त पद के विरूद्ध कार्यग्रहण करने की तिथि से निम्न सेवा शर्तों के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. रिक्त पद के विरूद्व नियोजन प्रथमतः 2 वर्ष के लिये परिविक्षा प्रशिक्षु (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में समेकित पारिश्रमिक रूपये 6670/– प्रतिमाह देय होगा। परिविक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें नियुक्त पद की रंनिग–पे बैण्ड 5200–20200 एवं ग्रेड–पे 1700/– देय होगी।
2. प्रोबेशनर को ट्रेनिंग के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि देय नही होगी। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 8 लागू होने पर तदनुसार न्यूनतम बोनस दिया जा सकेगा।
3. प्रोबेशनर ट्रेनी की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद पूर्ण होने पर नियमित वेतन श्रृंखला/रनिंग पे बैण्ड देय होगा तथा सेवावधि में चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
4. परिवीक्षा प्रशिक्षु को उक्त शर्त पूरी नही होने तक नियमित रनिंग पे बेन्ड देय नही होगा एवं उक्त अवधि में कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा उक्त अहर्ताए प्राप्त करने/शर्ते पूरी करने की स्थिति में उन्हे रनिंग पे बेन्ड एवं तद्नुरूप वरिष्ठता प्रदान की जा सकेगी।
5. एक कलेंण्डर वर्ष के 12 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
6. कार्मिक विभाग की अधिसचूना स. एफ.5(51)डी.ओ.पी./ए–11/88 दिनांक 27.02.2001 के क्रम में नियमों के तहत अनुकम्पा आधार पर नियुक्त आवेदक को परिवार के उन अन्य सदस्यों का जो कम्पनी के मृतक कार्मिक पर आश्रित थे उचित तौर पर उनका भरण पोषण करना होगा। इस आशय का लिखित बचनबद्ध (10 रूपये के Non-Judicial स्टाम्प पेपर पर) प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट हो जाने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेंगा।

   तदोपरान्त यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि मृतक कार्मिक के परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य की उपेक्षा हो रही है या उचित तौर पर भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो सक्षम प्राधिकारी नियोजित आश्रित व्यक्ति की नियुक्ति समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा।
7. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)(कार्मिक)क–2/95 दिनांक 20.06.2001 की पालना में (आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में) अनुकम्पात्मक नियुक्ति पाने वाले आवेदक से स्वयं के बच्चों से सम्बन्धित घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यग्रहण कराते समय लिया जाना आवश्यक होगा।
8. आवेदक को कार्यग्रहण करने से पूर्ण सम्बन्धित कार्यालय में स्वयं के निवास स्थान पर शौचालय होने का प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शौचालय नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेंगा।
9. आवेदक के कार्यग्रहण करने के समय एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आवेदन करने से पूर्व तथा कार्यग्रहण तिथि तक भी मृतक कार्मिक के किसी अन्य आश्रित की सरकार अथवा राजकीय उपक्रम सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं है।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों तथा दस्तावेजों में भविष्य में किसी प्रकार के असत्य कथन/गलत तथ्य पाये जाने पर नियोजन की समाप्ति/आपराधिक तथा सिविल कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

PHONES: *DIC-2740886; GM-2740068; FA-2740541; DGM(P&S)-2741085; Co. Secy.-2741956; DGM(Pur.)-2740841; DGM(A&P)-2744474; IT Cell-2740475; FAX:0141-2740676; EPBX:2740040*
E-mail: info@rsgsm.in/ rsgsmlimited@yahoo.com
TIN No : 08682100859

महाप्रबन्धक, शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर कार्य ग्रहण कराने से पूर्व राजस्थान मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार उनके दस्तावेजों की जांच करते हुये स्वयं समाधान करेंगे कि आवेदक का चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

तदनुसार श्री रवि कुमार, शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर में 7 दिवस के अन्दर–अन्दर ड्यूटी जोईन करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्री रवि कुमार के द्वारा 7 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

महाप्रबन्धक
राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.,
मुख्यालय जयपुर

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्राप्त मूल दस्तावेज।
प्रतिलिपि :–

1. महाप्रबन्धक, शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।
2. वित्तीय सलाहकार, आरएसजीएसएम लि., मुख्यालय, जयपुर।
3. उप महाप्रबन्धक (उ. एवं. वि.), आरएसजीएसएम लि., मुख्यालय, जयपुर।
4. श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार, पता : गली नं. 01, साधु कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला गंगानगर। **(रजिस्टर्ड)**
5. स.प./मा.फा.।

महाप्रबन्धक